www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 23.01.2017

सीबीआई ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पहले से ही दर्ज तीन अलग-अलग मामलों की जाँच को अपने हाथों में लिया

सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार के निवेदन एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए एवं तीनों की जांच को अपने हाथों में लिया।

पूर्व में, अज्ञात व्यक्यिों के विरूद्ध निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, मुम्बई (महाराष्ट्र) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 387 के दिनांक 08.04.1999 को प्राथमिक रिर्पोट संख्या 92/ 99 के तहत पहला मामला दर्ज हुआ। शिकायत में ऐसा आरोप था कि दिनांक 02.03.1999 से दिनांक 08.04.1999 की अवधि के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने छोटा राजन गैंग के रोहित, जॉन, आशोक आदि के तौर पर अपनी पहचान बता कर शिकायतकर्ता को टेलीफोन से काल किया एवं 25 लाख रू. (लगभग) की राशि के धन की उगाही के लिए गम्भीर परिणाम भुगतने की उन्हें धमकी दी। इस मामले में, परिणमस्वरूप स्थानीय पुलिस द्वारा मकोका 1999 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई।

दूसरा मामला, पूर्व में ही, दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध तिलक नगर पुलिस स्टेशन, मुम्बई में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 307, 34, एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 25 के तहत दिनांक 07.10.1998 को प्राथमिक सूचना रिर्पोट संख्या 220/ 1999 के तहत दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि दिनांक 07.10.1998 को 17.00 बजे, जब मृतक कोटियन अपने मित्र के साथ नवगढ़ होटल में बैठा था, रिवाल्वर एवं पिस्टल लिए हुए दो अज्ञात व्यक्ति होटल में घुसे तथा बाला कोटियन पर फायर कर दिया, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई व उसका मित्र घायल हो गया।

तीसरा मामला पूर्व में ही, तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506(।।), 427, 452, 387, 34 एवं भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दिनांक 16.11.2004 को नवगढ़ पुलिस स्टेशन, मुम्बई में अपराध संख्या 166/2004 के तहत दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि दिनांक 31.07.2004 को आम इरादे के साथ आरोपी व्यक्तियों ने मुलुण्ड (पूर्व), मुम्बई स्थित शिकायतकर्ता के कार्यालय में बल पूर्वक प्रवेश करते हुए अपने को छोटा राजन के गैंग का सदस्य पेश किया और बन्दूक के बल पर धन की माँग की। आरोपियों ने शिकायतकर्ता का फोन/ रिमोट की भी माँग की। इस मामले में, परिणाम स्वरूप स्थानीय पुलिस द्वारा मकोका, 1999 के प्रावधानों के तहत कार्यवाहीकी गई।

इन मामलों में आगे की जाँच जारी है ।

****